फर्द अहकाम (नियम 26)

राजस्व वाद संख्या :– 213/2012 अनवान :– ईशान्त बनाम निराणीदेवी आदि

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी

06.09.2024 उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित गत पेशी दिनांक 20.08.2024 को प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी ईशान्त की ओर से जरिये कुदरती वली सावित्री पत्नी बृजलाल की ओर से प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के विरूद्ध वाद पेश किया गया था। वादी की ओर से वाद पत्र की चरण संख्या 4 मे यह तथ्य अंकित किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि हक व हिस्सा वादी के पिता मांगीलाल के पक्ष में तर्क किया हुआ है जबकि वादी का पिता मांगीलाल वाद पत्र में बतौर प्रतिवादी पक्षकार नही है।

वाद पत्र मे मांगीलाल बतौर प्रतिवादी पक्षकार न होने व वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित आराजी जो प्रतिवादीगण का हक व हिस्सा था को अकेले मांगीलाल के पक्ष में तर्क नही किया जा सकता क्योकि मांगीलाल उक्त वाद में पक्षकार नही है। मांगीलाल के जीवित रहते मांगीलाल का पुत्र ईशान्त प्रतिवादीगण का हक व हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। वादी ईशान्त की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र बार्ड बाई लॉ है। वाद पत्र Barred by law होने के कारण माननीय न्यायालय को सुनने की अधिकारिता नही है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का वाद खारीज फरमाया जावे;

उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में वादी/अप्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया अधिवक्ता वादी/अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 स्वीकार है, लेकिन मांगीलाल को हस्तगत वाद मे न तो कोई भूमि प्राप्त होनी थी व वादी को दी जाने वाली भूमि भी मांगीलाल के नाम नहीं होने में वह आवश्यक पक्षकार नहीं था इसलिए सावित्री देवी द्वारा मांगीलाल को पक्षकार नहीं बनाया गया।

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 में अंकित कथन की प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 का प्रश्नगत भूमि में हिस्सा था। अकेले मांगीलाल के पक्ष में तर्क नहीं किया जा सकता, अस्वीकार है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर अपने हिस्सा की भूमि का हक परित्याग अपनी इच्छा से किया है अब प्रतिवादीगण अपने द्वारा की गई समस्त कार्यवाही व हक परित्याग से इन्कार नहीं कर सकते व अपने पूर्व कथन से भी बंधित है व उनके खिलाफ e-stopple का सिद्धान्त लागू होता है। प्रतिवादीगण के द्वारा वादी इशान्त के है पक्ष में हक परित्याग करने की कार्यवाही पूर्णतया विधिक व विधि सम्म प्रतिवादीगण द्वारा मात्र अपने प्रार्थना पत्र में किया गया कथन कि इशांत की ओर से प्रस्तुत वाद Barred by law है, पूर्णतया गलत है बल्कि ऐसी परिस्थितियों में जब ईशांत की ओर वाद उनकी दादी की ओर से प्रस्तुत किया गया है। वाद पत्र Barred by law नहीं होकर प्रतिवादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र मे बार्ड बाई ला किस कानूनी प्रावधान के तहत व विधिक आधार पर है, कही भी प्रार्थना पत्र में नहीं लिखा है। हस्तगत वाद न्यायालय को सुनने का पूर्ण कानूनी व सुनवाई का क्षेत्राधिकार है। राजीनामा में प्रतिवादीगण द्वारा हक त्याग नही कर वादी के कब्जा व स्वामित्व के अधिकार को स्वीकार करने के आधार पर वाद डिक्री हुआ है।

Scanned with CamScanner

फर्द अहकाम (नियम 26)

राजस्व वाद संख्या :— 213/2012 अनवान :— ईशान्त बनाम निराणीदेवी आदि

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

समायत बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि वादी की ओर से वाद पत्र की चरण संख्या 4 मे यह तथ्य अंकित किया है कि वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 द्वारा अपने हक व हिस्सा की आराजी का वादी के पिता मांगीलाल के पक्ष में तर्क किया हुआ है जबकि वादी का पिता मांगीलाल वाद पत्र में बतौर प्रतिवादी पक्षकार नही है।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादी ईशान्त नाबालिग जरिये कुदरती वली पिता मांगीलाल द्वारा प्रस्तुत **वाद संख्या 213/2012 अनवान ईशान्त बनाम रानीदेवी उर्फ निराणीदेवी वगैरह** अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. को वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय दिनांक **06.09.2024** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी।